विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय हैं:

अध्याय-I : प्रस्तावना

अध्याय-II : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

अध्याय-III : भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका-पीएसयू के लेखाओं की लेखापरीक्षा

अध्याय-IV :
- 'उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन' की लेखापरीक्षा
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-V :
- 'वित्तीय नियमों के उल्लंघन के कारण निधियों के व्यपवर्तन और अनियमित पार्किंग' पर लेखापरीक्षा प्रस्तर
- विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा परिणामों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 322.97 करोड़ है।

अध्याय-I: प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों तथा उनके अन्तर्गत आने वाले 53 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) एवं 19 अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि), जो कि महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं, की लेखापरीक्षा सम्मिलित है। वर्ष 2021-22 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों के अन्तर्गत कुल 2,040 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 156 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। इस प्रतिवेदन में 'पीएसयू का वित्तीय निष्पादन', 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका-पीएसयू के लेखाओं की लेखापरीक्षा', 'उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन' की लेखापरीक्षा के परिणाम एवं चार विभागों[1] एवं पीएसयू/प्राधिकरणों से सम्बन्धित आठ अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं।

[1] ऊर्जा विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, पर्यटन विभाग तथा लोक निर्माण विभाग।

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान पाँच विभागों के 35 प्रकरणों में ₹ 11.57 करोड़ की वसूली इंगित की गयी जिसमें से तीन विभागों द्वारा ₹ 7.70 करोड़ की वसूली को स्वीकार किया गया। दो प्रकरणों में ₹ 7.71 करोड़ की वसूली की गयी।

अध्याय-II: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकलाप

31 मार्च 2022 तक, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 114 राज्य पीएसयू (93 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और छः सांविधिक निगम), 42 अकार्यरत पीएसयू सम्मिलित थे। इस प्रतिवेदन में 37 पीएसयू के वित्तीय निष्पादन को आच्छादित किया गया है जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया नहीं थे और जो कार्यरत थे/परिसमापनाधीन नहीं थे। इन 37 कार्यरत पीएसयू ने अपने नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार ₹ 76,189 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी के 4.09 प्रतिशत के बराबर था।

(प्रस्तर 2.1.3 एवं 2.1.4)

उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों का प्रदर्शन

31 मार्च 2022 तक, 37 पीएसयू जिनका वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है, में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,80,732.97 करोड़ था। निवेश में 58.51 प्रतिशत की पूँजी एवं 41.49 प्रतिशत का दीर्घावधि ऋण सम्मिलित है। उसमें से, इन पीएसयू में उ.प्र. सरकार ने ₹ 1,55,400.63 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें पूँजी ₹ 1,52,384.09 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 3,016.54 करोड़ है।

वर्ष 2021-22 तक, अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 37 पीएसयू में से 16 पीएसयू ने ₹ 378.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 21 पीएसयू ने ₹ 15,856.93 करोड़ की हानि वहन की। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (₹ 142.70 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (₹ 105.16 करोड़) मुख्य लाभ कमाने वाले पीएसयू थे। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 8,305.27 करोड़), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,957.52 करोड़) एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,042.20 करोड़) हानि वहन वाले मुख्य पीएसयू थे।

(प्रस्तर 2.2, 2.3.1 एवं 2.6.1)

संस्तुति

राज्य सरकार को हानि वहन करने वाले पीएसयू के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए और इन पीएसयू में सावधानीपूर्वक निवेश करना चाहिए एवं उनके निष्पादन में सुधार के लिए उपाय करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखों से मिलान

31 मार्च 2022 तक, 74 पीएसयू के पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति में अन्तर था। आँकड़ों के बीच यह अन्तर विगत कई वर्षों से बना हुआ है, यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित पीएसयू एवं विभागों के साथ अन्तरों के मिलान का मामला भी उठाया गया था।

(प्रस्तर 2.2.2.1)

संस्तुति

उ.प्र. सरकार के वित्त विभाग एवं सम्बन्धित पीएसयू को पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार एवं उ.प्र. सरकार के वित्त लेखे के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियों के आँकड़ों के मध्य अन्तर का समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिए।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

2021-22 के दौरान 14 पीएसयू जिनमें ब्याज सहित ऋण देयताएं थीं, में से 11 पीएसयू में ब्याज व्याप्ति अनुपात ऋणात्मक (एक से कम) था, जो यह इंगित करता है कि ये पीएसयू ब्याज पर अपने व्ययों की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

(प्रस्तर 2.4.1)

निवल मूल्य का क्षरण

संचित हानि के कारण 10 पीएसयू के निवल मूल्य का पूर्ण रूप से क्षरण हो गया। इन पीएसयू में, ₹ 1,37,041.97 करोड़ के पूँजी निवेश के विरूद्ध इन पीएसयू का निवल मूल्य (-) ₹ 62,779.27 करोड़ था।

(प्रस्तर 2.6.2)

अध्याय-III: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका - पीएसयू के लेखाओं की लेखापरीक्षा

लेखों का बकाया

कार्यरत 72 पीएसयू में से केवल 11 पीएसयू ने वर्ष 2021-22 हेतु अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किये थे और शेष 61 पीएसयू के 308 लेखे बकाया थे। अकार्यरत 42 पीएसयू में से 40 पीएसयू के 698 लेखे[2] बकाया थे। उ.प्र. सरकार ने 38 राज्य पीएसयू को उस अवधि के दौरान जिसमें उनके

[2] इसमें 120 लेखे शामिल हैं, जिनमें 11 पीएसयू परिसमापनाधीन हैं।

लेखे बकाया थे, ₹ 8,610.52 करोड़ (पूँजीः ₹ 3,467.07 करोड़, ऋणः ₹ 1,187.47 करोड़, अनुदानः ₹ 3,547.47 करोड़ तथा सब्सिडीः ₹ 413.51 करोड़) प्रदान किए थे।

(प्रस्तर 3.3.2 एवं 3.3.2.3)

संस्तुति

पीएसयू के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को उनके लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिए सख्ती से अनुश्रवण एवं आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करना चाहिए तथा पीएसयू के लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

अध्याय-IV: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

'उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन' की लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन 13 जुलाई 2006 को हुआ था और इसे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अपनी पारेषण लाइनों और उपकेन्द्रों की सहायता से विभिन्न यूटिलिटी को विद्युत ऊर्जा के पारेषण का कार्य सौंपा गया है।

कम्पनी ने नई पारेषण परियोजनाओं के निर्माण/मौजूदा क्षमता में वृद्धि एवं प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर 2018-19 में ₹ 3,735 करोड़, 2019-20 में ₹ 3,975 करोड़, 2020-21 में ₹ 3,785 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,729 करोड़ का कुल व्यय किया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं:

- नौ उपकेन्द्र परियोजनाओं के प्रकरण में ठेकेदारों को कार्य सौंपने की तिथि से दो माह से 38 माह के पश्चात् भूमि हस्तान्तरित की गयी। भूमि हस्तान्तरित करने में हुए विलम्ब के कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

(प्रस्तर 4.1.9.1)

- नमूना जाँच किये गये 12 पारेषण लाइन कार्यों के प्रकरणों में, कम्पनी ने एनओसी के लिए सम्बन्धित प्राधिकरणों (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय रेलवे, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि) को एसओपी में निर्धारित समय-सीमा से एक से नौ माह के विलम्ब से आवेदन किया।

(प्रस्तर 4.1.9.2)

- अनुबंध की समाप्ति के समय कम्पनी, ठेकेदार को निर्गत की गयी सामग्री एवं उपयोग की गयी सामग्री का मिलान करने में विफल रही तथा अप्रयुक्त कंडक्टर की लागत के मद में ₹ 9.50 करोड़ की हानि वहन की।

(प्रस्तर 4.1.11.4)

- कम्पनी ने ₹ 2.01 करोड़ की रॉयल्टी की धनराशि काटे बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया, जिसे कम्पनी द्वारा काटकर राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप राजकोष को भी उसी सीमा तक हानि हुई।

(प्रस्तर 4.1.11.6)

- ठेकेदारों के कारण हुए विलम्ब के लिए कम्पनी द्वारा उनके बिलों से परिसमापन हर्जाने की धनराशि ₹ 63.39 करोड़ कम/नहीं काटी गयी। इस प्रकार, ठेकेदारों को उसी सीमा तक अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

(प्रस्तर 4.1.11.7)

- यूपीईआरसी से पूँजी निवेश की पूर्व स्वीकृति हेतु यूपीईआरसी विनियमों का अनुपालन न करने के कारण, कम्पनी को ₹ 144.75 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा क्योंकि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए ट्रू-अप कम करके अन्तिमीकृत किया गया था।

(प्रस्तर 4.1.11.10)

लेखापरीक्षा प्रस्तर

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) छूट की अवधि समाप्त होने के पश्चात् जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड के विद्युत बिलों में ₹ 3.94 करोड़ का विद्युत शुल्क लगाने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप उक्त की वसूली नहीं हो सकी एवं उसे राजकोष में जमा नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 4.2)

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ता को 24 घंटे की रोस्टर मुक्त विद्युत आपूर्ति हेतु ₹ 2.79 का प्रोटेक्टिव लोड प्रभार नहीं लगाया जिसके परिणास्वरूप कम्पनी को उसी सीमा तक हानि हुई।

(प्रस्तर 4.3)

अध्याय-V: विभागों एवं संस्थाओं (पीएसयू के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

लोक निर्माण विभाग ने व्यय न की गयी निधियों की बहुत बड़ी धनराशि को समर्पित नहीं किया और निधियों को समाप्त होने से बचाने के लिए इसे तेल कम्पनियों को अग्रिम के रूप में दे दिया। अग्रेतर, विद्यमान नियमों/निर्देशों के उल्लंघन में इसे बाद के वर्षों में उपयोग करने के लिए निक्षेप साख सीमा (डीसीएल) में परिवर्तित कर दिया गया।

(प्रस्तर 5.1)

लोक निर्माण विभाग ने वाहन क्षति कारक और यातायात वृद्धि के गलत मानों पर विचार करने के कारण ₹ 6.87 करोड़ का परिहार्य व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप सड़क की परत में डेंस बिटुमिनस मैकैडम एवं बिटुमिनस कंक्रीट की मोटी परत बिछाई गयी।

(प्रस्तर 5.2)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एवं पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में लगातार विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज एवं पंजीकरण शुल्क के साथ स्टाम्प शुल्क की ₹ 39.61 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.3)

औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन के लिए योजना विवरणिका के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में, **ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण** आवंटी से ₹ 3.70 करोड़ का लोकेशन प्रभार वसूल करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 5.4)

पर्यटन विभाग की निष्क्रियता के कारण टूरिस्ट कॉम्पलेक्स एवं मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण विगत पाँच वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था, जिससे ₹ 24.26 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।

(प्रस्तर 5.5)

अनुबन्धित भार से वास्तविक विद्युत उपभोग, काफी कम होने के बाद भी भार कम करने में **पर्यटन निदेशालय** के उदासीन रवैये के कारण ₹ 1.38 करोड़ के विद्युत प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 5.6)